न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड़ अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम आर.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण GCMS No 2033/200
दायरा तिथि : 18-09-2023
फैसला तिथि : 23-01-2024
प्रार्थी::–

सकाराम पुत्र डायाराम जाति मेघवाल निवासी पुनाडिया तहसील बाली जिला पाली (राज.)

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

–:: आदेश ::– दिनांक 23-01-2024

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा ग्राम पुनाडिया तहसील बाली में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा 283/1, 345 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.2300 हैक्टर में **दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम सवा पुत्र डायाराम** को **दुरस्ती** के माध्यम से **सही व वास्तविक नाम सकाराम पुत्र डायाराम शुद्ध** किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की प्रति, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड की प्रतियाँ पेश की गई। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली ने जांच कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वर्णित भूमि में त्रुटिपुर्ण नाम **सवा पुत्र डायाराम** दर्ज होने तथा प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज बेचान रजिस्ट्री के अनुसार प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम **सकाराम पुत्र डायाराम शुद्ध** दर्ज होना स्वीकार किया तथा उक्त त्रुटि नामान्तरकरण दर्ज करने के दौरान होना स्वीकार करते हुये राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रार्थी के **त्रुटिपुर्ण नाम सवा पुत्र डायाराम** के स्थान पर **सकाराम पुत्र डायाराम शुद्ध** शुद्ध किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान् वकील प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम **सकाराम पुत्र डायाराम शुद्ध** है, जिसकी पुष्टि में प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड की प्रतियां पेश कर दी है। नामान्तरकरण के दौरान **दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम सवा पुत्र डायाराम** दर्ज है, जिससे उसके आधार पर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नाम को भी दुरस्त किये जाने की मांग की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम पुनाडिया तहसील बाली में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा 283/1, 345 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.2300 हैक्टर में **दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम सवा पुत्र डायाराम** को **दुरस्ती** के माध्यम से **सही व वास्तविक नाम सकाराम पुत्र डायाराम शुद्ध शुद्ध** किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, कोटबालियान प्रथम को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री भागीरथ राम)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बाली
बाली (जिला–पाली) राज

आदेश आज दिनांक 23-01-24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली

भू अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बाली
बाली (जिला–पाली) राज